## प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

139 - गुढा मालानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि-

श्री कृष्ण कुमार के.के. विश्नोई (नाम)

32 क हॉस्टल के पास, राठौडों की ढाणी गुडामालानी (पता)

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खडे किए गए है। उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:- बाइमेर

दिनांक:- 03-12-2023

(रामजी भाई कलबी) रिटर्निंग अधिकारी 139-गुढा मालानी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट)

> गुढ़ा मालानी (रामजी भाई कलबी) रिटर्निंग ऑफ़िसर 130-गुढ़ा मालानी विधानलमा निर्वाचन क्रेड (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट) गुढ़ा मालानी

## Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legisletive Assembly of Rajasthan State from the 139 - Gudha Malani Assembly constituency.

In puesuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri Krishan Kumar K.K. Vishnoi (Name)

32K Hostal Ke Pass, Rathoro Ki Dhani, Gudamalani (Address)
sponsored by Bharatiya Janata Party (name of the recognised political party) has been

duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: BARMER

Dated: 03.12.2023

(RAMJI BHAI KALBI)

**RETURNING OFFICER** 

139-GUDHA MALANI ASSEMBLY CONSTITUENCY
(SUB DIVISIONAL OFFICER AND SUB DIVISIONAL MAGISTRATE)

**GUDHA MALANI** 

Ramji Bhai Kalbi)
Returning Officer
The Malani Assembly Constituency
Ina Malani Assembly Constituency
Ional Officer and Sub Divisional Magistrate
Gudha Matani